प्रेस विज्ञप्ति
23.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने एपेक्सा समूह धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 22.01.2026 को कुल 15.97 करोड़ रुपये की **37** अचल संपत्तियों और एक चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई 37 अचल संपत्तियां मुरली मनोहर नामदेव, दुर्गा शंकर मेरोठा, अनिल कुमार, गिरिराज नायक, श्रीमती शोभा रानी और अन्य से संबंधित कृषि/आवासीय भूमि के रूप में हैं, जो बूंदी, बारां और कोटा में स्थित हैं। कुर्क की गई चल संपत्ति में एपेक्सा समूह से संबंधित 1.50 करोड़ रुपये का एक बैंक खाता भी शामिल है।

राजस्थान पुलिस द्वारा मुरली मनोहर नामदेव और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर ई.डी. ने जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एपेक्सा समूह ने बड़ी संख्या में निवेशकों से 194.76 करोड़ रुपये एकत्र किए।

ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि मुरली मनोहर नामदेव ने अपने विभिन्न सहयोगियों के साथ मिलीभगत कर आपराधिक एवं दुर्भावनापूर्ण इरादे से एपेक्सा समूह के बैनर तले धोखाधड़ी की योजनाएं बनाईं, जो असाधारण रूप से अधिक लाभ का वादा करके केवल भोले-भाले और अनाड़ी लोगों को लुभाने और आकर्षित करने के लिए बनाई गई थीं। इस तरह के लाभ का वादा करने के लिए कोई विश्वसनीय आधार या वैध वित्तीय समर्थन नहीं था और इतने कम समय में इतना अधिक लाभ कमाने के लिए कोई व्यावहारिक तंत्र मौजूद नहीं था। वर्ष 2012 से 2020 के बीच, आरोपी निवेशकों को नाममात्र लाभ का भुगतान करके धन आकर्षित करते रहे, या तो अन्य निवेशकों से एकत्र किए गए नए धन के प्रसार के माध्यम से या निवेशकों को उन लाभों को फिर से निवेश करने के लिए प्रेरित करके जो उन्हें प्राप्त हुए थे, जिससे लाभप्रद संचालन का भ्रम पैदा किया गया था। हालांकि, इस तरह के उच्च लाभ का भुगतान निरंतर आधार पर करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। नतीजतन, योजनाएं मौलिक रूप से अस्थिर थीं और विफल होने के लिए नियत थीं। स्थिति कोविड-19 महामारी के दौरान चरम पर पहुंच गई, जब बड़ी संख्या में निवेशकों ने अपने निवेश किए गए धन को लाभ के साथ वापस करने की मांग की। इस बिंदु पर, मुरली मनोहर नामदेव और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में एपेक्सा समूह इन मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः योजनाओं का पतन हो गया और निवेशकों को धोखा दिया गया। इस जानबूझकर किए गए धन के हेरफेर और जनता के व्यवस्थित शोषण से स्पष्ट रूप से एपेक्सा समूह के संचालन के पीछे धोखाधड़ी और आपराधिक इरादे का पता चलता है।

प्राप्त धन मुख्य रूप से अचल संपत्ति खरीदने और नए व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए उपयोग किया गया था, जिसका उद्देश्य निवेशकों के लिए वैध लाभ उत्पन्न करने के बजाय अभियुक्तों और उनके सहयोगियों की व्यक्तिगत वित्तीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था।

आगे की जाँच जारी है।